न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 72/2015/ जिला–नागौर (2015/00010)

1. अमराराम पुत्र गोपाराम
2. लुम्बाराम पुत्र गोपाराम
   जाति मेघवाल निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. चौथाराम पुत्र मोडाराम
2. रामप्रसाद पुत्र मोडाराम
3. राणाराम पुत्र मोडाराम
   जाति मेघवाल निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।
4. पटवारी हलका, गठिया तहसील मेड़ता
5. तहसीलदार, मेड़ता

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 21–02–2013
अपील संख्या 57/2013 बउनवान चौथाराम व अन्य बनाम
श्री अमराराम व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री एस.पी.सिंह चौधरी अभिभाषक, अपीलांट्स

निर्णय

दिनांकः– 17.4.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजा बासनी नृसिंह वृसिंह की सरहद में खसरा नम्बर 56 की जमीन आई हुई है खसरा नम्बर 56 बड़ा रकबा है मौजा बासनी नृसिंह की सरहद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व वर्तमान अपीलांट्स की खातेदारी भूमि आई हुई है जिस बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हुआ है। खसरा नम्बर 56 के नवीन खसरा नम्बर 13/640 रकबा 0.62 हैक्टर कायम किये हुए है जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की

खातेदारी में है एवं खसरा नम्बर 12 रकबा 0.81 हैक्टर अपीलांट्स की खातेदारी में है। उक्त भूमि को सेटलमेंट में तरमीम न होने के कारण गलत जगह तरमीम कर दिया है। रेस्पोन्डेन्ट्स की भूमि अपीलांट्स की भूमि की जगह तरमीम होनी चाहिए थी तथा अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 651/10 रकबा 1.62 हैक्टर में चिपती हुई पूर्व की तरफ तरमीम की जानी चाहिए थी। इसलिए रेस्पोन्डेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की आराजियात को अपीलांट्स की आराजियात में जमीन मौका अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–2–2013 को ही सारी कार्यवाही करते हुए उसी दिन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोन्डेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलांट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अपीलांट्स को न तो नोटिस जारी किये न ही अपीलांट्स को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये दिनांक 21–2–2013 को निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय की अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में भी परिवर्तन कर दिये गये। अपीलांट्स द्वारा पटवारी हलका से राजस्व रेकार्ड की नकल लेने हेतु दिनांक 1–7–2015 को सम्पर्क किया तो उक्त आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश की जानकारी करने पर नकल आदि प्राप्त कर अविलम्ब ही उक्त अपील श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था रेस्पोन्डेन्ट्स का प्रकरण उक्त प्रावधानों की परिधि में नहीं आता है। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट्स की खातेदारी की आराजियात का रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज कर दिया कि प्रकरण तहसीलदार, मेडता को जांच हेतु भेजा गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21–2–2013 को ही दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसी दिन आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में भी परिवर्तन कर दिये गये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा बासनी नृसिंह वृसिंह की सरहद में खसरा नम्बर 56 की जमीन आई हुई है खसरा नम्बर 56 बड़ा रकबा है मौजा बासनी नृसिंह की सरहद में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 वर्तमान अपीलांट्स की खातेदारी भूमि आई हुई है जिस बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हुआ है। खसरा नम्बर 56 के नवीन खसरा नम्बर 13/640 रकबा 0.62 हैक्टर कायम किये हुए है जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में है एवं खसरा नम्बर 12 रकबा 0.81 हैक्टर अपीलांट्स की खातेदारी में है। उक्त भूमि को सेटलमेंट में तरमीम न होने के कारण गलत जगह तरमीम कर दिया है। रेस्पोन्डेन्ट्स की भूमि अपीलांट्स की भूमि की जगह तरमीम होनी चाहिए थी तथा अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 651/10 रकबा 1.62 हैक्टर में चिपती हुई पूर्व की तरफ तरमीम की जानी चाहिए थी। इसलिए रेस्पोन्डेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की आराजियात को अपीलांट्स की आराजियात में जमीन मौका अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत धरा 136 के प्रार्थना पत्र को दिनांक

21–2–2013 को दर्ज रजिस्टर उसी दिनांक को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर अपीलांट्स की खातेदारी आराजियात में से रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम शुद्धिकरण के आदेश व नक्शे में तरमीम करने जैसे आदेश पारित किये है जबकि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट है क्योंकि अपीलांट को उक्त संशोधन आदेश पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और उसकी खातेदारी भूमि में से राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण करने के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विरूद्ध होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता) का अपीलाधीन ओदश दिनांक 21–02–2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता) का अपीलाधीन ओदश दिनांक 21–02–2013 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 57/2013 बउनवानी चौथाराम व अन्य बनाम अमराराम व अन्य त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा नक्शा ट्रेस तरमीम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित भूमि के लगते हुए अन्य समस्त भूमिधारकों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर